(2)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ह0क0(3)बैठक–01/07

आदेश

विषयः– **राज्य के बुनकर छात्र–छात्राओं को बुनकर कल्याण कोष से छात्रवृत्ति भुगतान के निमित प्रकिया–निर्धारण।**

बिहार बुनकर कल्याण समिति बुनकरों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति है। यह सोसाईटी ऐक्ट–1860 के अन्तर्गत निबंधित है। दिनांक–07.04.2011 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार बुनकर कल्याण समिति की बैठक में राज्य के बुनकर कल्याण कोष से बुनकर छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान त्वरित गति से करने हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्य सचिव, शिक्षण संस्था प्रधान के माध्यम से बुनकर छात्र–छात्राओं का आवेदन प्राप्त कर समिति की स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा अनुमान्य राशि की याचना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सचिव बुनकर कल्याण समिति से करेंगे। प्राप्त राशि सदस्य सचिव विहित प्रकियानुसार शिक्षण संस्था प्रधान के माध्यम से बुनकर छात्र–छात्राओं को भुगतान करेंगे तथा साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
समिति का स्वरूप निम्नवत् है–

1– जिला पदाधिकारी– अध्यक्ष
2– जिला कल्याण पदाधिकारी– सदस्य
3– जिला शिक्षा पदाधिकारी– सदस्य
4– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र– सदस्य सचिव
5– तकनीकी पर्यवेक्षक/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/उद्योग विस्तार पदाधिकारी– सदस्य

बुनकर कल्याण कोष से बुनकर परिवार के छात्र–छात्राओं को निम्न दर पर राशि उपलब्ध कराई जानी है–

क्रमांक	शिक्षा का स्तर	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिमाह)
1	आठवीं कक्षा	100/–
2	नवीं/दसवीं कक्षा	125/–
3	उच्च माध्यमिक (इंटरमीडिएट)	150/–
4	स्नातक	225/–
5	स्नातकोत्तर	300/–
6	तकनीकी शिक्षा (ITI)	150/–
7	तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा/डिग्री)	300/–

छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान की समय–सीमा निम्न रूप से निर्धारित की जाती है–

1–	आवेदन पत्र प्राप्त करना–	मई–जून
2–	समिति द्वारा चयन एवं स्वीकृति देना–	जुलाई
3–	राशि की याचना बुनकर कल्याण कोष से करना–	अगस्त
4–	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सदस्य सचिव बुनकर कल्याण समिति द्वारा राशि उपलब्ध कराना–	सितम्बर
5–	उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र)/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संस्था प्रधान को राशि उपलब्ध कराना–	अक्टूबर–नवम्बर
6–	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को उ0 प्र0 प0 उपलब्ध कराना–	मार्च

ह0–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना

ज्ञापांक–1407/ दिनांक–11.7.11/

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)/सभी तकनीकी पर्यवेक्षक/सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना